

नोटिस

विषय : फार्म मिसिंग के सम्बन्ध में

केन्द्रीय बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश नियमावली, 1957 के नियम -8 के उपनियम - (13) के प्राविधानों के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यापारी जिन्हें निम्न क्रमांक के फार्म-सी, एच,एफ वाणिज्य कर कार्यालय से जारी किये गये थे अथवा ऐसे व्यापारी को क्रेता व्यापारियों से भरे हुए प्राप्त हुए थे, खो जाने / नष्ट हो जाने अथवा चोरी हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुयी है । किसी भी व्यापारी द्वारा इसका प्रयोग अवैध होगा:-

क्र० सं०	व्यापारी / फर्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/ संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री सोनल इण्डो, प्रा०लि० गोला कुंआ, मेरठ	फार्म- 'सी' संख्या- 295584	खोने के कारण	01
2-	मेसर्स आर०एस० बुन्देला एण्ड सन्स ग्राम- वनगुवांकलां , तहसील- तालबेहट, ललितपुर ।	फार्म- 'सी' संख्या- 0124080	खोने के कारण	01
3-	मेसर्स बिन्दल पेपर्स लि० , 8th K.M भोपा रोड, मुजफ्फरनगर ।	फार्म 'सी' संख्या- 15 पी- 586577 एवं 15 पी- 586580	खोने के कारण	02
4-	सर्वश्री डायमण्ड लैम्पस, 372, रुकनपुर, शिकोहाबाद ।	फार्म 'सी' संख्या- 0494526	खोने के कारण	01
5-	सर्वश्री श्याम जी चाय उद्योग, 64-ए, बहादुरगंज, इलाहाबाद , T IN - 09813100623	फार्म 'सी' संख्या- 1552300	खोने के कारण	01
6-	सर्वश्री बजाज ग्राफिक्स, मो०पुर, मेरठ ।	फार्म 'सी' संख्या- 0999245 एवं 0999246	गिरने के कारण	02
7-	मेसर्स खन्ना लुब्रीकेन्ट्स, 123 /137 शाप नम्बर- 1,2,3 गढ़रियन पुरवा, कानपुर ।	फार्म- 'एफ ' संख्या-080032, 080033 एवं 080034	खोने के कारण	03

ह०/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1(विधि)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।

- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- समस्त आयुक्त व्यापार कर/ वैट/ वाणिज्य कर / आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को ।
- 5- महालेखाकार, उ०प्र० 171-ए-अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 6- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 7- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 8- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि० नु०शा०/अपील)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त डिप्टी कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 10- ज्वाइन्ट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर इलाहाबाद, लखनऊ ।
- 11- समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हों ।
- 12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 13- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियाँ ।
- 14- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियाँ एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियाँ ।

ह०/-

(सुशील कुमार दुबे)

असिस्टेन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर, मुख्यालय ।